जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मैस.र्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मैसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 34 ग्राम पंचायतों के 30 नग प्राक्कलन जिसमें 40 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 02.12.2022 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि. (टी.पी.आई.)।

1.फर्म एल0 एण्ड टी0 द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु :–

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा प्रेषित 30 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिससे 34 ग्राम पंचायतें/40 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एव स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/ छिहत्तर–1–2021–25सम /2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 30 नग प्राक्कलनों के सापेक्ष जनपद स्तर पर स्वीकृत होने वाले 29 नग प्राक्कलन हैं, जिसमें 18 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम हैं तथा 11 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक एव 7000 से कम हैं जिसकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में किया जाना प्रस्तावित है एवं 01 नग प्राक्कलन जिसकी लागत रू0 5 करोड़ से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत रू 6000 से अधिक एव 7000 से कम है की स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये 30 नग प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन फर्मों से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

DDO.

सदस्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराया गया :-

क्रम सं0	शासनादेश के **अनुसार** निर्देश	**उपलब्ध** कराये गये प्राक्कलनों की स्थिति
1	राज्य पेयजल एवं **स्वच्छता** मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रू. 6000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए।	प्राप्त 30 नग प्राक्कलनों में 18 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपये 6000.00 से कम है एवं अवशेष 12 नग प्राक्कलनों की लागत रू0 6000 से अधिक है जिसकी स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 51/2021/1683/छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की कम जनसंख्या, अभिकल्पित 2052 की कम जनसंख्या, बिखरी हुई बसावट के फलस्वरूप वितरण प्रणाली की अधिक लम्बाई, स्वीकृत एस0ओ0आर0 मुख्यतः कारण है। **(संलग्नक–1)**
2	पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हेड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों मे हैड 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में हेड 50 मी0 से कम है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
3	सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में सोलर पम्प की क्षमता 1.4 गुना है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
4	रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।	समस्त प्राक्कलनों में रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत तक है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
5	योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्वि अनुमन्य होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में योजना की डिजाइन, जनसंख्या अधिकतम 60 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
6	प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिए ।	समस्त प्राक्कलनों में प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
7	वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नही देय होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
8	जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नही होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जलकल परिसर में मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
9	कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
10	स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।	समस्त प्राक्कलनों में स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान नही किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
11	योजनाओं का विरचन यथासम्भव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितिया जैसे–भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त	समस्त प्राक्कलनों में योजनाओं का विरचन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया है उक्त के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की दशा

DBO

	गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।	में 04 बहुल ग्राम पंचायत योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अतः निर्देश के अनुरूप है।
12	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–16 / 2021 / 978 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक19.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–36 / 2021 / 1599 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा रू 5.00 करोड़ की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी ।	समस्त प्राक्कलनों में शासनादेश के अनुसार तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
13	परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य लागत में जी.एस.टी. कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
14	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव में समय–समय पर आवश्यक डी0जी0 सेट का फर्म द्वारा योजना के कार्य लागत में प्राविधान किया गया है जिसे योजना की कार्य लागत में सम्मिलित करने हेतु उपरोक्त शासनादेश अथवा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के किसी पत्र में उल्लेख नही है। सदस्य सचिव द्वारा पत्र सं0 4327 / यो0–50 / 783 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया था। जो वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः डी0जी0 सेट की लागत को योजना के कार्य लागत में सम्मिलित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जाना सम्भव नही है। भविष्य में उक्त हेतु शासन / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में 30 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति / संस्तुति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त 30 नग प्राक्कलनों की जनपद स्तर / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, स्तर से योजनाओं की स्वीकृति / संस्तुति हेतु सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे है अतः कार्य के समय प्राक्कलन मे विचलन हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। अध्यक्ष / उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

2.फर्म एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के 404 ग्राम पंचायतों के गठित अनुबन्धों के 15 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 265 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के आंशिक कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। कार्य प्रारम्भित योजनाओं पर फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति / स्थिति संतोषजनक नहीं है। शासन स्तर द्वारा माह दिसम्बर 2022 तक निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्य 112000 के सापेक्ष निर्धारितसाप्ताहिक लक्ष्य 8500 एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष विगत सप्ताह में मात्र 1336 गृह जल संयोजन की प्रगति प्राप्ति फर्म द्वारा की गयी। शासन द्वारा जनपद के निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्य

DDO

प्राप्ति की प्रगति भी फर्म द्वारा नही की जा रही है। जिससे जनपद की स्थिति सबसे खराब जनपदों में आ गयी है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो से कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु फर्म द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही से सम्बन्धित प्रश्न किया गया। जिस पर फर्म के परियोजना निदेशक द्वारा पूर्व की भांति कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। धीमी गति से कार्य कराये जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई की उपरोक्त कार्य प्रणाली एवं महत्वाकांक्षी योजना में अपेक्षित प्रयास न करने के सम्बन्ध में ,आवश्यक मशीनरी/मैनपावर की व्यवस्था होने के उपरान्त भी कार्यों में प्रगति न लाने के फलस्वरूप फर्म की कार्यप्रणाली से शासन को अवगत कराने के साथ-साथ फर्म के विरूद्व कार्यवाही हेतु नोटिस निर्गत करने हेतु सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/**मेसर्स लारसेन** एण्ड टूब्रो।

3.आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यो के लिए नामित समस्त 05 इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सीयों के वर्तमान तक किये गये कार्यो एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, को अवगत कराया। बैठक में मात्र 04 संस्थाओं के प्रतिनिध द्वारा प्रतिभाग किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद की अवशेष ग्राम पंचायतों कलस्टर आवंटन की कार्यवाही के क्रम में शासन द्वारा वर्तमान तक स्वीकृत 404 नग पेयजल योजनाओं में अवशेष 160 ग्राम पंचायतों के कलस्टर आवंटन की कार्यवाही हेतु जनपद में अच्छा काम कर रही तीन संस्थाओं को कलस्टर आवंटन करते हुए पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/**समस्त इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट** एजेन्सी।

4.भूमि आवंटन की स्थिति :–

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में जनपद में कार्य कर रही फर्म को निर्धारित कुल लक्ष्य 846 ग्राम पंचायतों के पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही के क्रम में वर्तमान तक 792 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटित कर दी गयी हैं। शेष 54 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन के क्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा 19 ग्राम पंचायतों में भूमि चिन्हांकन की सूचना से समिति को अवगत कराया एवं शेष ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उपरोक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन फेज–5 अन्तर्गत जनपद के अवशेष 298 ग्रामों/186 ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV) को उपलब्ध करायी जाने वाली जलकल परिसर की भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर उक्त की सूचना पोर्टल पर अपडेट करने हेतु सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता जल निगम निर्देशित किया।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/**मुख्य राजस्व अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी।**

5.संस्था विंग्स द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्रांक 4358/JJM/PRI/ Training/Vol-1/2021–22दिनांक 23.03.2022 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एफ0टी0के0 किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण हेतु पांच महिला सदस्य (आशा, ए0एन0एम0, आंगवाडी कार्यकत्री, एस0एच0जी0 सदस्य, अध्यापिका) एवं 13 तकनीकी कार्मिको (02 प्लम्बर, 02 इलेक्ट्रशियन, 02 फिटर, 02 पम्प ऑपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक एवं 3 राज मिस्त्री) को चिन्हित कर प्रशिक्षण हेतु सूचीबद्ध संस्था 'विंग्स' (वेलफेयर एण्ड इलस्ट्रेशन नीडी ग्रामीण सोसाईटी) द्वारा कार्यवाही की गयी है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सत्यापन डी0पी0एम0यू0 टीम द्वारा कराये जाने में संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में कूटरचित तरीके से हस्ताक्षर कर प्रशिक्षण की कार्यवाही, किट वितरण का समापन कराया जाना परिलक्षित हुआ है। बैठक में संस्था के जनपदीय प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग नही किया जाता है एवं आज दिनांक 02.12.2022 की बैठक में भी संस्था के प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शासन स्तर से संस्था विंग्स के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धित पत्र निर्गत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/**जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0/संस्था विंग्स।**

DDO

5.जनपद की अवशेष ग्राम पंचायतों ... **ता के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV) के परिचय के सम्बन्ध में :–**

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, जल जीवन मिशन फेज़–5 के अन्तर्गत में जनपद के अवशेष 298 ग्रामों / 186 ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण हेतु शासन द्वारा फर्म M/s KLSR-RAYS(JV) को सूचीबद्ध किया गया है। जिसकी सूची फर्म, मुख्य राजस्व अधिकारी समस्त उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से बैठक कर शीघ्र ही भूमि प्रस्ताव की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया एवं फर्म को शीघ्र ही प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी / अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा– आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन / प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद की सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने एवं निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

05.12.22

(मुकीम अहमद)
अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव

जिला विकास अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
प्रभागीय वन अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस / सिंचाई गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल गोण्डा।	सदस्य	
जिला कृषि अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति– जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास।	सदस्य	
मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।	उपाध्यक्ष	
जिलाधिकारी गोण्डा।	अध्यक्ष	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।

पत्रांक : 4807 / सं0-5ठ 1995 दिनांक– 08-12-2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
5. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव

				Remarks
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Low Population (Projected Population year 2032 is [illegible]). Since projected population for the Ultimate year 2032 is less, the costs of borewell, boundary wall, pump house, Chlorination, and Instrumentation items etc. do not have any direct relation with the population of the GP. Hence, they increase the per capita cost of the GP. Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Low Population (Projected Population year 2032 is [illegible]). Since projected population for the Ultimate year 2032 is less, the costs of borewell, boundary wall, pump house, Chlorination, and Instrumentation items etc. do not have any direct relation with the population of the GP. Hence, they increase the per capita cost of the GP. Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Low Population (Projected Population year 2032 is [illegible]). Since projected population for the Ultimate year 2032 is less, the costs of borewell, boundary wall, pump house, Chlorination, and Instrumentation items etc. do not have any direct relation with the population of the GP. Hence, they increase the per capita cost of the GP. Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Low Population (Projected Population year 2032 is [illegible]). Since projected population for the Ultimate year 2032 is less, the costs of borewell, boundary wall, pump house, Chlorination, and Instrumentation items etc. do not have any direct relation with the population of the GP. Hence, they increase the per capita cost of the GP. Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Population is less than 2000, cost incurred for construction of ESR, rampant in comparison of population which has resulted in higher Per Capita Cost
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Population is less than 2000, cost incurred for construction of ESR, rampant in comparison of population which has resulted in higher Per Capita Cost
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Scattered population: The scattered population having low density, results in the increase of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large
		Total	[illegible]	